स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या-38/80/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(ए) (भाग-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
*****

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक : 8 जून, 2011

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110064

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2011-अधिसूचना हेतु ।

उपरोक्त विषय पर अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) की दो प्रतियाँ संलग्न हैं । आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, (उप-खण्ड-ii) में प्रकाशित करें ।

2. यह भी अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेज दें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक
टेलीफैक्स : 24624802

प्रति :

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, सी. एण्ड ए. जी., संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि ।

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 8 जून , 2011

सा.का.नि. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,--

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के परंतुक में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) नियम 9 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) नियम 38 के उपनियम (2) के खंड (क) में "दो हजार दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) नियम 40 के उपनियम (3) में "तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे ;

(5) नियम 41 के उपनियम (2) में "तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे ;

(6) नियम (49) में,--

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) सेवानिवृत्त की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता को उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा ।" ;

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, पेंशन की रकम, न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास और अधिकतम पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए परिलब्धियों का पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियों, का पचास प्रतिशत जो उसको अधिक फायदाप्रद हो, पर संगणित की जाएगी ।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त पेंशन निम्नलिखित रीति में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संदेय होगी :-

पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100% ।" ;

(ग) उपनियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "के खंड (क) और खंड (ख)" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(7) नियम 50 में,--

(क) उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (5) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता को इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा ।" ;

(8) नियम 51 के उपनियम (1) के खंड (ख) में,-

(क) उपखंड (i) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (i), (ii) और (iv)" के स्थान पर "खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (v), (vi) (vii), (viii), (ix), (x) और (xi)" के स्थान पर "खंड (vi) (vii), (viii), (ix), (x) और (xi)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(9) नियम 54 में,-

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम 13ख के उपबंधों के अधीन और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी सरकारी सेवक की मृत्यु-

(i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाती है ; या

(ii) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पूर्व हो जाती है परंतु यह तब जब कि संबद्ध मृतक सरकारी सेवक की सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की गई हो और उसे उपयुक्त घोषित किया गया हो ; या

(iii) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन, अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है

तो मृतक का कुटुंब, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कुटुंब पेंशन स्कीम, 1964 के अधीन कुटुंब पेंशन (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् कुटुंब पेंशन कहा गया है) का हकदार होगा जिसकी रकम न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपये और अधिकतम सत्ताइस हजार रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 30% की समरूप दर पर अवधारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- 'एक वर्ष की लगातार सेवा' पद का, जहां कही भी वह इस नियम में आता है, अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत खंड (ii) में यथापरिभाषित "एक वर्ष से अन्यून लगातार सेवा" भी है ।" ;

(ख) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ख) उपनियम (2), (2क), और (3) के अनुसार अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त कुटुंब पेंशन निम्नलिखित रीति में संदेय होगी :-

कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 100% ।" ;

(ग) उपनियम (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क)(i) जहां किसी ऐसे सरकारी सेवक की, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा शासित नहीं होता है, सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है वहां कुटुंब पेंशन की दर अंत में लिए गए वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम सरकारी सेवक की मृत्यु की आगामी तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगी ।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में उपखंड (i) के अधीन यथा अवधारित कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को 67 वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी ।

परंतु इस उपखंड (ii) के अधीन अवधारित कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की रकम से कम हो, वहां इस

खंड के अधीन अवधारित पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम तक सीमित होगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन के अंतर्गत पेंशन का वह भाग भी है जिसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक मृत्यु से पहले संराशीकृत कर सकता है ।" ;

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) जहां केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन कोई पंचाट अनुज्ञेय है वहां इस नियम के अधीन पंचाट के बने रहने के दौरान कोई कुटुंब पेंशन मंजूर नहीं की जाएगी ।" ;

(ङ) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6) वह अवधि जिस के लिए कुटुंब पेंशन संदेय है, वह निम्नानुसार होगी :-

(i) पहले परंतुक के अध्यधीन, विधवा अथवा विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो ;

(ii) दूसरे परंतुक के अध्यधीन, अविवाहित पुत्र की दशा में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या जब तक वह विवाहित न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर दें, इनमें से जो पहले हो ;

(iii) दूसरे और तीसरे परंतुक के अध्यधीन, अविवाहित या विधवा या परित्यक्त पुत्री की दशा में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले या जब तक उसका विवाह अथवा पुनर्विवाह न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर दें, इनमें से जो भी पहले हो ;

(iv) उपनियम (10क) के अधीन माता पिता की दशा में जो सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक पहले पूर्णतः सरकारी सेवक पर आश्रित थे ; जीवनभर के लिए

(v) उपनियम (10ख) और चौथे परंतुक के अधीन, निःशक्त सहोदर (अर्थात् भाई और बहन) की दशा में, जो सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित थे ; जीवनभर के लिए

परंतु कुटुंब पेंशन, पुनर्विवाह पर निःसंतान विधवा को संदेय होना जारी रहेगी यदि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है :

परंतु यह और कि यदि सरकारी सेवक का पुत्र या पुत्री जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, जिसमें मानसिक मंदन या शारीरिक अपंगता या निःशक्तता सम्मिलित है, जिससे उसको पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविका उपार्जन करने में असमर्थता है, ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संज्ञेय होगी, अर्थात् :-

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, सरकारी सेवक के दो या दो में से अधिक बालकों में से एक है तो कुटुंब पेंशन प्रारंभतः इन नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में अवयस्क बालकों (उपनियम के खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लिखित) को रूप में तब तक संदेय होगी जब तक अंतिम बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन उस पुत्र या पुत्री के पक्ष में जो मानसिक विकार या मस्तिष्क की निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदन या जो शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्तता है, सम्मिलित है, से ग्रस्त है, संदेय होगी और यह उसे आजीवन संदेय होगी ;

(ii) यदि एक या एक से अधिक ऐसे बालक मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी सम्मिलित है, से ग्रस्त हैं या जो शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में संदत्त कीजाएगी और उनमें से कनिष्ठ व्यक्ति कुटुंब पेंशन केवल तभी प्राप्त करेगा जब उससे ठीक ऊपर वरिष्ठ व्यक्ति पात्र नहीं रह जाता है :

परंतु जहां कुटुंब पेंशन ऐसे जुड़वा बालकों को संदेय है वहां इसे इस नियम के उपनियम (7) के खंड (घ) में दी गई रीति में संदत्त किया जाएगा ;

(iii) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन संरक्षक के माध्यम से संदत्त की जाएगी मानो वह अवयस्क होता सिवाय शारीरिक रूप से अपंग पुत्र या पुत्री के, जिसने वयस्कता की आयु को प्राप्त किया हो ;

(iv) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री के आजीवन कुटुंब पेंशन के अनुज्ञात करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है जो उसे जीविका का उपार्जन करने से रोकती है और उसी को संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख अध्यक्ष के रूप में उसके नामनिर्देशिती और दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी शामिल है के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, के रूप में उससे मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वारा साक्षयित होगा जिसमें यथासंभव बालक की सटीक मानसिक या शारीरिक दशा उपवर्जित की गई है ;

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा व्यक्ति

या ऐसा पुत्र या पुत्री जो संरक्षक के माध्यम से कुटुंब पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनका नामनिर्देशिती और उसके दो अन्य सदस्य जिसमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी है, के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, से मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, एक बार यदि निःशक्तता स्थायी है और प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, यदि निःशक्तता अस्थायी है, कि वह मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता या शारीरिक अपंगता या निःशक्तता से लगातार ग्रस्त रहता है ;

(vi) मानसिक रूप से मंदित पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी सेवक या पेंशनभोगी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन उसके जीवनकाल के दौरान सरकारी सेवक या पेंशनभोगी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को, यथास्थिति, ऐसे सरकारी सेवक या कुटुंब पेंशन भोगी के पति या पत्नी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जाता है और स्थानीय स्तर समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999 का 44) की धारा 14 के अधीन जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र भी उक्त अधिनियम में यथाउपदर्शित स्वपरायणता, प्रर्मास्तष्क घात मानसिक मंदता और बहु निशक्तता ग्रस्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक का नामनिर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए भी स्वीकार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी या निरंतरता या जब तक वह विवाहित या पुनर्विवाहित नहीं हो जाती, या जब तक वह जीविका अर्जन करना प्रारंभ नहीं करती, जो भी पूर्वतर हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

(i) इस नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में अवयस्क बालकों (इस उपनियम के खंड (ii) या उपखंड (iii) में उल्लिखित) को कुटुंब पेंशन आरंभिक रूप से संदेय होगी जब तक अंतिम अवयस्क बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; और

(ii) इस उपनियम के दूसरे परंतुक के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई निःशक्त बालक पात्र नहीं है :

परंतु यह भी कि ऐसा निःशक्त सहोदर, इस नियम में यथा अधिकथित उसी रीति में और आगामी उसी निःशक्तता के मानदंड में आजीवन कुटुब पेंशन का हकदार होगा जो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पुत्र या पुत्री की दशा में, जो मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता (मानसिक मंदता सहित) से ग्रस्त है, या जो शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त है जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु

प्राप्त करने के पश्चात् भी जीविका के उपार्जन करने में असमर्थ है, के लिए लागू हैं ।

स्पष्टीकरण 1.- कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री इस उपनियम के अधीन उस तारीख को, जिसको वह विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.- ऐसे किसी पुत्र या पुत्री या माता-पिता या सहोदर को देय कुटुंब पेंशन रुक जाएगी यदि वह या वे अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ कर देते हैं ।

स्पष्टीकरण 3.- यह पुत्र या पुत्री या सहोदर या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाना या बैंक को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि (i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है (ii) वह अभी तक अविवाहित है या वह पुनर्विवाहित नहीं है और उसी प्रकार का प्रमाण पत्र निःसंतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या माता-पिता द्वारा वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाने या बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण 4.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए कुटुंब का सदस्य अपनी जीविका का उपार्जन करता समझा जाएगा यदि उसकी अन्य स्रोत से आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 5.- माता-पिता को सरकारी सेवक पर आश्रित समझा जाएगा यदि उनकी सम्मिलित आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है ।

स्पष्टीकरण 6.- निःशक्त सहोदर सरकारी सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है ।

स्पष्टीकरण 7.- निःसंतान विधवा को देय कुटुंब पेंशन रोक दी जाएगी, यदि, पुनर्विवाह के पश्चात्, उसकी अन्य स्रोतों से आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या अधिक हो जाती है ।

(च) उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(10क)(क) माता-पिता को कुटुंब पेंशन देय होगी यदि माता-पिता, सरकारी सेवक की अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक जीवित न हो ।

(ख) कुटुंब पेंशन, जब कभी माता-पिता को अनुज्ञेय हो, मृत सरकारी सेवक की मां को संदेय होगी जिसके न हो सकने पर मृत सरकारी सेवक के पिता को संदेय होगी ।

(10ख) आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि सहोदर मृत सरकारी सेवक की उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित था और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक या पात्र माता-पिता जीवित नहीं है ।" ;

(छ) उपनियम 11 में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क)(i) यदि उत्तरजीवी बालक उपनियम (3) में वर्णित दर से दोनों कुटुंब पेंशनें पाने का पात्र है या पाने के पात्र हैं तो दोनों पेंशन की रकम पैतालीस हजार रुपए प्रति मास तक सीमित रहेगी ;

(ii) यदि कुटुंब पेंशनों में से एक उपनियम (3) में वर्णित दरों से संदेय नहीं रह जाती और उसके बदले में उपनियम (2) में वर्णित दर से पेशन संदेय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम भी पैतालीस हजार रुपए प्रति मास तक सीमित होगी ;

(ख) यदि दोनों ही कुटुंब पेंशनें उपनियम (2) में वर्णित दरों से संदेय है तो दोनों पेंशनों कीरकम सत्ताईस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी ।" ;

(ज) उपनियम (11ख) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) उपनियम (11क) के परंतुक के अधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन के अधीन, बालक या बालकों का कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के पश्चात् ऐसी कुटुंब पेंशन मृत सरकारी सेवक के न्यायिक रूप से पृथक् उत्तरजीवी पति या पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, संदेय हो जाएगी ।" ;

(झ) उपनियम (12) के खंड (ख) में "बालिका" शब्द के स्थान पर "उसके बालक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) उपनियम (13ख) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त अनुज्ञात होगी, जहां कही लागू हों ।" ;

(ट) उपनियम 14 के खंड (ख) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ii) अविवाहित पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक ग्रहीत पुत्र या पुत्री भी हैं ;

(iii) आश्रित माता-पिता ;

(iv) सरकारी सेवक का आश्रित निःशक्त सहोदर (अर्थात् भाई या बहन) ।" ;

(ट) उपनियम (15) में खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं.38/80/08-पीएंडपीडब्ल्यू]

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक

टिप्पण : मूल नियम का.आ. संख्यांक 934 तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए । जुलाई, 1988 तक का संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए :-

1. का.आ.254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का.आ.970, तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ.2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का.आ.899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ.1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ.2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का.आ.3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का.आ.3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990

9. का.आ.3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. का.आ.409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का.आ.464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ.2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का.आ.2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा.का.नि.677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा.का.नि.39, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि.55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि.570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का.आ.258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ.1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि.449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का.आ.1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा.का.नि.389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ.1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ.259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ.904(अ), तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का.आ.717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि.75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ.4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002
29. का.आ. 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ.1483(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का.आ.1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि.723 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का.आ.1821 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. का.आ.258 (अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का.आ.1028 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ.829 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010